राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः— 17/2016 ....जिला—जयपुर।

उनवान— मैसर्स जोधपुर देहली ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली, श्री सज्जन कुमार चौधरी पुत्र श्री रामनिवास, मालिक, झुन्झूनूँ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड—द्वितीय, प्रतिकरापवचंन, वृत—तृतीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2016	एकलपीठ **श्री.सुनील शर्मा, सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र, व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1659/2015/जयपुर मैसर्स जोधपुर देहली ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली, श्री सज्जन कुमार चौधरी पुत्र श्री रामनिवास, मालिक, झुन्झूनूँ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड—द्वितीय, प्रतिकरापवचंन, वृत—तृतीय,जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2015 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । व्यवहारी की ओर श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण के निस्तारण की समयावधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया, जिस पर विभागीय प्रतिनिधि की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविधि प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.2015 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा को इस आदेश प्राप्ति के आगामी तीन माह तक के लिए बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा तीन माह तक के लिए बढ़ायी जाती है । निर्णय सुनाया गया । (सुनील शर्मा) सदस्य	